

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./गुप-8/3251-3310

दिनांक : 20/12/17

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक पं.7(9)भर्ती/गोपनीय/2013-14/266 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार राज्यपाल महोदय, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि) के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे-बैंड 9300-34800 (पी.बी.-2) ग्रेड पे रु 4800/- में कार्यग्रहण तिथि से अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिये नियत वेतन रूपये 17230/- प्रतिमाह पर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग से प्राप्त पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है।

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	भेरिट क्रमांक	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयन हुआ	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान
1	श्री कमल सिंह	श्री महावीर सिंह	ग्राम एवं पोस्ट - धोवडा, तह. हिण्डोली, बूंदी	1	GE	GEN	25-07-1987	कार्या. कृषि अनु0अधि0 (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, कोटा
2	श्री दुष्यन्त	श्री लालचन्द	मकान न0- 417, गली नं. 4, 3-ई छोटी शिवनगर, श्रीगंगानगर	2	BC	GEN	23-10-1988	कार्या. कृषि अनु0अधि0 (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीगंगानगर
3	पिकी शर्मा	श्री सीताराम	VPO - गोला का बास, तह. - राजगढ अलवर	3	GE/NG	GEN	09-08-1989	कार्या. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि), राज्य जैविक उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुर, जयपुर।
4	श्री जगजीत सिंह	श्री वकील सिंह	VPO - 15 टीके, झोंटावाली, तह.- रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान	7	BC	OBC	25-01-1992	कार्या. कृषि अनु0अधि0 (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर
5	श्री सुरेश चन्द मीणा	श्री बदीलाल मीणा	VPO - निंदडडा, तह. व जिला सवाई माधोपुर राजस्थान	8	ST	ST	23-01-1983	कार्या. उप निदेशक (उद्यान), ए.टी.सी. नान्ता, कोटा
6	श्री सुनील कुमार पीपलीवाल	श्री बनवारी लाल रैगर	सूर्या कॉलोनी, पोस्ट रानोली, जिला सीकर	9	SC	SC	23-12-1986	कार्या. उपनिदेशक (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर



उक्त नियुक्तियों निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीय होगी:-

1. उक्त चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया/चयन एवं नियुक्ति कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के संबंध में माननीय विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं के अध्यक्षीय रहेगी।
2. नवनियुक्ति अधिकारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2004 एवं 13.03.2006 के अनुसार लागू होगी।
3. पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची IV के अनुसरण में फिक्स वेतन एवं वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों / अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
5. कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान संबंधी प्रमाण पत्र/घोषणा प्रस्तुत करने होंगे।
6. परिविक्षा अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना/आदेश दिनांक 13.06.2006 में अंकित शर्तों/नियमों के अनुसार राज्य सेवा करनी होगी।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों को नवनियुक्त स्थान पर उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उक्त कार्मिकों की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
9. वे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
10. नवपदस्थापित अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अपनी उपस्थिति 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांक: प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./गुप-8/3251-3310
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक प.7(5)भर्ती/गोपनीय/2013-14/170 दिनांक 16.06.2017 के संदर्भ में।
5. शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर
7. संबंधित श्री
8. निजी/ आरक्षी पत्रावली ।

दिनांक : 20/5/17


(सोमेश्वर शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)